न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास- इन्द्राज सिंह R.A.S.

वाद संख्या - 203/2019

निर्णय दिनांक - 20.12.19

छगनलाल पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी लम्बोर छिम्पियान तहसील राजगढ़ जिला चूरू -प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय राजगढ़ जिला चूरू - अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 L.R. Act.

उपस्थित : 1. विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल जांगिड़ वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकारराज वास्ते अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी पैमाईश व पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 रा० भू राजस्व अधिनियम का इस न्यायालय में दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया कि खाता संख्या 172 ख०न० 325 तादादी 3.15 है० ख०न० 331 तादादी 0.09 है० कुल तादादी 3.24 है० वाके रोही गागोर तहसील राजगढ़ जिला चूरू मे स्थित है जिसका प्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि की विवादित है उक्त कृषि भूमि का प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार हो कर काश्त व उपयोग उपभोग तथा फसल उत्पादन करता आ रहा है लेकिन प्रार्थी के खेत पड़ोसियान ने प्रार्थी की कृषि भूमि की चारों सीमाओं को दबाकर अतिक्रमण करना चाह रहे है और प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाओं को तोड़ कर सीमा विवाद बनाये हुए है। प्रार्थी ने कई बार तथा अन्य लोगों से भी खेत पड़ोसियान को काफी कहा व कहलवाया कि वे प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाओं को तोड़ कर सीमा विवाद कायम ना करे तथा ना सीमा को दबाने का प्रयास करे तथा सीमा ज्ञान करवा लेने देवें व प्रार्थी के साथ दुरुस्त सीमा चिन्ह कायम करा कर सीमा ज्ञान करवा लेने देवें

सीमा विवाद को बनाये रखा ...

प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार राजगढ़ के समक्ष आवेदन किया जिस पर योग्य पटवारियों की टीम द्वारा मौका पर जाकर दिनांक 10-6-19 को फर्द मौका पैमाईश तैयार की जाकर उपस्थित खातेदारान के हस्ताक्षर करवाये गये जिसके अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि कम पाई गई। सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाई जानी न्यायहित में आवश्यक है इसलिए प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है. आदि-आदि पेश कर अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अनुतोष चाहा।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नियमानुसार तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी से वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की होना प्रमाणित है। प्रकरण पैमाईश करवाकर अपने खातेदारी की भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह पैमाईश के मुताबिक कायम करवाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के सम्बन्ध में है। प्रार्थी द्वारा सीमा विवाद होना अंकित किया गया है ऐसे में मौका पर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर योग्य टीम से पैमाईश पुख्ता सीमा चिन्ह से पक्षकारान की उपस्थिति में करके सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी योग्य टीम गठित करके रोही ग्राम गगोर तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख०नं० 325 तादादी 3.15 है० ख०नं० 331 तादादी 0.09 है० कुल तादादी 3.24 है० की मौका पर पुख्ता पैमाईश चिन्ह से पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में की जाकर सीमाओं की पुख्ता निशानदेही दी जाकर चारों सीमाओं पर पुख्ता पत्थरगढ़ी करवाई जावे। तहसीलदार राजगढ़ को हिदायत दी जाती है कि वह आदेश की पालना करवाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।